AC (PLG) MPPR
Dairy No. 1273
Date 07/09/12

उपाध्यक्ष कार्यालय
डायरी सं 2377-B
दिनांक 05/9/2012

अ0शा0पत्रांकः नि- 2672 /मु.अ.गं/

ए0के0 गुप्ता
मुख्य अभियन्ता (गंगा)

Commr. (Plg) - II
Despatch 5277
Date 06-9-12

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, गंगा
सिंचाई विभाग ,उत्तर प्रदेश, मेरठ

मेरठ : दिनांक : 04--09-2012

विषयः- दिल्ली विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2021 के जोन 'ओ' एवं एफ स्थित अन्तर्गत सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की भूमि के Land Use संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- अधिशासी अभियन्ता, हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर, ओखला का पत्रांक-3839/हैवख, दिनांक 21.8.2012 (सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है।)

आदरणीय महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जो आपको सम्बोधित है। उपरोक्त की निरन्तरता में अवगत कराना है कि डी0डी0ए0 के जोन 'ओ' एवं जोन 'एफ' में सिंचाई विभाग के स्वामित्व की निम्नानुसार मुख्य परिसम्पत्तिया निर्मित है। जिनका लेण्ड यूज डी0डी0ए0 के मास्टर प्लान-2021 में स्थल की परिस्थितियों के विपरीत अंकित है, जिसमें संशोधन की आवश्यकता है।

Director MPR/TC
D.D.A. Vikas Minar N. DELHI
Dy.No. L-117
Dated 7/9/12

डी0डी0ए0 मास्टर प्लान जोन 'ओ' :-(संलग्न -1)

डी0डी0ए0 मास्टर प्लान 2021 के जोन 'ओ' में खसरा नं0-317, 207, 305, 318, 417, 401 से 404 406, 612 के अतिरिक्त ग्राम दक्षिण पूर्वी दिल्ली के ग्रम मदनपुर खादर एवं पूर्वी दिल्ली के जनूबी चारागाह के विभिन्न खसरों में क्रमशः 137 एकड एवं 441 एकड सहित 'ओ' जोन में कुल 618.43 एकड भूमि सिंचाई विभाग के स्वामित्व की भूमि स्थित है। इस भूमि के लेण्ड यूज के सम्बन्ध में डी0डी0ए0 के मास्टर प्लान में उल्लेखित लेण्ड यूज एवं स्थलीय स्थिति निम्नानुसार है :-

खसरा नं0 274, 275, 276, 277, 278, 317, 461, 463 एवं 464 (कुल रकबा लगभग 115.00 एकड)- डी0डी0ए0 के मास्टर प्लान 2021 के जोन ओ के अन्तर्गत सिंचाई विभाग के स्वामित्व की उक्त भूमि को संलग्नक-1 में ओ-1 से दर्शाया गया है।

इस भूमि में सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1874(ब्रिटिश काल) से उक्त अपनी भूमि पर सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदश, लखनऊ द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों के आवास, कार्यालय भवन एवं स्टोर आदि का निर्माण किया गया था, तथा तत्समय से लगभग 14 दशकों के दौरान आवश्यकतानुसार समय-समय पर इस भूमि पर आवासीय/ व्यवसायिक/कार्यालय/स्टोर के निर्माण किया जाता रहा है, तथा निरन्तर उक्त भूमि का प्रयोग आवासीय/ व्यवसायिक/कार्यालय/स्टोर प्रयोजन हेतु किया जा रहा है । ध्यान आकर्षित करना है कि **इतनी लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी दिल्ली विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान-2021 के जोन-ओ के अन्तर्गत सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की स्वामित्व की उकत भूमि को रिवर बेड एण्ड वाटर बोडीज दर्शाया गया है, जोकि तथ्यों के अनुरूप नहीं है ।** इस भूमि में सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के अनेक कार्यालय कार्यरत हैं, तथा अधिकारी/कर्मचारी तथा उनके परिजन आवासित हैं। साक्ष्य के रूप में फोटोग्राफ, तथा वीडियो क्लीपिंग संलग्न है । अतः वास्तविकता के अनुरूप उक्त भूमि का लैण्ड यूज रिवर बेड एण्ड वाटर बोडीज से परिवर्तित कर व्यवसायिक/अर्द्धव्यवसायिक/आवासीय रूप में संशोधित करने की कृपा करें

<u>खसरा नं0 417, 401, 404, 406, 612 आदि कुल रकबा 588.21 एकड-</u> उक्त खसरों की भूमि दक्षिण पूर्वी दिल्ली के ग्राम जसोला ,मदनपुर खादर एवं पूर्वी दिल्ली के ग्राम जनूबी चारागाह में स्थित है, जो संलग्न-1 में ओ-2 से दर्शाया गया है । ग्राम जनूबी चारागाह के खसरों एवं सिंचाई विभाग की अन्य खसरों की समान प्रकृति एवं स्थिति की भूमि पर अक्षरधाम मंदिर परिसर एवं कामन वेल्थ गेम के स्टेडियम, खेल गावं के आवासीय परिसर तथा मैट्रो स्टेशन आदि निर्मित है। इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है कि ***<u>दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा डी0डी0ए0 के मास्टर प्लान में उल्लेखित " रिवर बैड एण्ड वाटर बोडिज " की लगभग 65.00 एकड भूमि सिंचाई विभाग , उ0प्र0 से क्रय करते हुए केवल उसी भूमि का लेण्ड यूज संशोधित कर उसमें खेल गांव परिसर, खेल गांव आवासीय परिसर, अक्षरधाम मैट्रो रेलवे स्टेशन का निर्माण कर लिया गया जबकि उ0प्र0 सिंचाई विभाग के स्वामित्व की उक्त भूमि से लगी हुयी समान प्रकृति एवं स्थिति की भूमि का लेण्ड यूज पूर्ववत रिवर बैड एण्ड वाटर बोडिज ही बनाया रखा गया है।</u>*** जोकि स्थलीय परिस्थितियों के पूर्णतः विपरीत है। अतः उक्त खसरें की भूमि के लेण्ड यूज को आवासीय/अर्द्धव्यासायिक/व्यवसायिक किया जाना प्रस्तावित है।

<u>खसरा नं0 207 व 305 (कुल रकबा 12.00 एकड)-</u> उक्त भूमि के दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जसोला ग्राम में स्थित है। उक्त खसरों को संलग्नक-1 में ओ-3 से दर्शाया गया है। उक्त खसरों की भूमि पर लगभग **<u>5 दशक पूर्व से सिंचाई विभाग के स्टोर्स, कर्मचारियों के आवास निरीक्षण भवन तथा वाटर एण्ड लेण्ड मेनेजमेंट इन्स्टीट्यूट (वाल्मी)का प्रशिक्षण परिसर निर्मित है।</u>** साक्ष्य स्वरूप स्थल के फोटोग्राम एवं विडियो संलग्न है। उक्त निर्माणों के विद्यमान होते हुए भी डी0डी0ए0 के मास्टर प्लान इन खसरों की भूमि का लेण्ड यूज भी "रिवर बैड एण्ड वाटर बोडिज" दर्शाया गया है, जिसको आवासीय/अर्द्धव्यासायिक/व्यवसायिक किया जाना प्रस्तावित है।

<u>खसरा नं0 318 (कुल रकबा 13.32 एकड)-</u>

उक्त भूमि दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जसोला ग्राम में अबुल फजल इन्क्लेव तथा शाहिन बाग की घनी आबादी वाली आवासीय कालोनियों के मध्य स्थित है। उक्त खसरों को संलग्नक -1 में ओ-4 से दर्शाया गया है जिसका **<u>रिवर/वाटर बाडिज से कोई भी परोक्ष/अपरोक्ष रूप से सम्बन्ध न होने के विपरित डी0डी0ए0 के मास्टर प्लान में इस भूमि का लेण्ड यूज रिवर बैड एण्ड वाटर बोडिज दर्शाया गया है।</u>** जोकि स्थलीय परिस्थितियों के पूर्णतः विपरीत है। अतः उक्त खसरें की भूमि के लेण्ड यूज को आवासीय/अर्द्धव्यासायिक/व्यवसायिक किया जाना प्रस्तावित है।

<u>डी0डी0ए0 मास्टर प्लान जोन 'एफ' :- संलग्नक-2</u>

डी0डी0ए0 मास्टर प्लान 2021 के जोन 'एफ' में खसरा नं0-67, 68, 180, 192 एवं 31 के अतिरिक्त ग्राम आली , सैदाबाद एवं जैतपुर के विभिन्न छोटे-छोटे खसरों की भूमि सहित एफ जोन में कुल 297. 77 एकड भूमि सिंचाई विभाग के स्वामित्व की है। इस भूमि के लेण्ड यूज के सम्बन्ध में डी0डी0ए0 के मास्टर प्लान में उल्लेखित लेण्ड यूज एवं स्थलीय स्थिति निम्नानुसार है :-

165

खसरा नं0 67, 68, 180, 192 एवं 31(कुल रकबा 55.32 एकड)–

उक्त भूमि दक्षिण पूर्वी दिल्ली के ग्राम ओखला एवं जसौला में ओखला मेन बाजार, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कैम्पस, गफ्फार मंजिल, नूरनगर जोहरी फार्म एवं हाजी कालोनी के बीचो-बीच घनी आबादी में स्थित है। इन खसरों को संलग्नक–2 में एफ–1 से दर्शाया गया है। साक्ष्य स्वरूप स्थल के फोटोग्राफ एवं विडियों संलग्न है। उक्त तथ्यों के विपरीत डी0डी0ए0 के मास्टर प्लान में इन खसरों की भूमि का लेण्ड यूज ''रिक्रेयेशनल/पार्क'' दर्शाया गया है, जिसको आवासीय/ अर्द्धव्यवसायिक/ व्यवसायिक किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त खसरों की भूमि के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 में डी0डी0ए0 द्वारा जामिया मिलिया विश्वविघालय के आवासीय /एजूकेशनल भवन को बनाने हेतु अधिग्रहण किये जाने की कार्यवाही की गयी थी, जिस पर सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की अपील पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों से स्थगित है। ***डी0डी0ए0 द्वारा आवासीय/ शिक्षण भवनों हेतु भूमि को अधिग्रहण किया जाना, लेण्ड यूज में संशोधन किये जाने की मांग की पुष्टि करता है।***

सिंचाई विभाग की ग्राम आली एवं सैदाबाद के विभिन्न खसरों में स्थित भूमि (कुल रकबा 242.45 एकड)–

उक्त भूमि दक्षिण पूर्वी दिल्ली के ग्राम आली एवं सैदाबाद में सरिता बिहार, आली एवं आली विहार तथा मैट्रो डिपो उसके कार्यालय परिसर एवं आवासीय भवनों तथा घनी आबादी के बीचो बीच स्थित है। भौतिक परिस्थितियों को देखते हुए उक्त खसरों की भूमि पर ''ट्रक टर्मिनिल/आई0एफ0सी0'' डिपो बनाया जाना तथ्यातमक नहीं है। उक्त खसरों को संलग्नक–2 में एफ–2 से दर्शाया गया है। उक्त विशाल कालोनियों/निर्माणों के विद्यमान होते हुए भी डी0डी0ए0 के मास्टर प्लान में इन खसरों की भूमि का लेण्ड यूज ''ट्रक टर्मिनिल/आई0एफ0सी0'' दर्शाया गया है, जिसको आवासीय/अर्द्धव्यासायिक/ व्यवसायिक किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध करना है कि सिंचाई विभाग की उपरोक्त वर्णित भूमि का लेण्ड यूज परिवर्तित करने हेतु दोनों राज्यों के मध्य उच्च स्तरीय बैठक आहूत करने की कृपा करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार सादर,

उपाध्यक्ष
दिल्ली विकास प्राधिकरण
विकास सदन,
आई0एन0ए0, नई दिल्ली

भवदीय,

(ए0 के0 गुप्ता)

पत्रांकः– /तदिनांक

1. प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, सिंचाई , उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उपरोक्त वर्णित भूमि का लेण्ड यूज परिवर्तित करने हेतु दोनों राज्यों के मध्य एक उच्च स्तरीय बैठक आहूत कराने की कृपा करें।
2. प्रतिलिपि प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय मण्डल सिंचाई कार्य, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर ,ओखला को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित है।

AE(MP/PR) Busy in meeting
cc. AE(AP) Director(MPR)
Pl study and discuss

(ए0 के0 गुप्ता)
मुख्य अभियन्ता(गंगा)

संलग्नक–1

डी0डी0ए0 के मास्टर प्लान 2021 के जोन ओ संलग्न्क–1 में सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की दिल्ली स्थित भूमि का विवरण

क्रमांक	भूमि का विवरण खसरा संख्या मय रकबा सहित		जनपद/प्रदेश स्थित ग्राम	महायोजना के अनुसार भू–उपयोग	राजस्व अभिलेखों में वर्तमान में किसका नाम दर्ज है।
	खसरा नं0	रकवा (एकड में)			
1	2	3	4	5	6
1	317	4.90	दक्षिण पूर्वी दिल्ली/ओखला	जोन–ओ River and Water Body	मकबूजा महकमा नहर आगरा
2	207,305	12.00	दक्षिण पूर्वी दिल्ली/ओखला, जसौला	जोन–ओ River and Water Body	–तदैव–
3	318	13.32	दक्षिण पूर्वी दिल्ली/जसौला	जोन–ओ River and Water Body	–तदैव–
4	417	2.00	दक्षिण पूर्वी दिल्ली/जसौला	-do-	–तदैव–
5	401 से 404 मि0 व 406, 612	8.21	दक्षिण पूर्वी दिल्ली/ मदनपुर	-do-	–तदैव–
6	दिल्ली पीजेन्ट सोसाईटी	137.00	दक्षिण पूर्वी दिल्ली/ मदनपुर खादर	जोन–ओ River and Water Body	–तदैव–
7	जनूबी चारागाह	441.00	पूर्वी दिल्ली जनूबी चारागाह	जोन–ओ River and Water Body	–तदैव–
	कुल योग	618.43			

161

संलग्नक–2

डी0डी0ए0 के मास्टर प्लान 2021 के जोन एफ संलग्नक–2 में सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की दिल्ली स्थित भूमि का विवरण

क्रमांक	भूमि का विवरण खसरा संख्या मय रकबा सहित		जनपद/प्रदेश स्थित ग्राम	महायोजना के अनुसार भू–उपयोग	राजस्व अभिलेखों में वर्तमान में किसका नाम दर्ज है।
	खसरा नं0	रकवा (एकड में)			
1	2	3	4	5	6
1	दिल्ली पीजेन्ट सोसाईटी	141.00 101.45 242.45	दक्षिण पूर्वी दिल्ली/आली, सैदाबाद	जोन–एफ ट्रक टर्मिनल/ आई0एफ0सी0	मकबूजा महकमा नहर आगरा
2	67.68	43.73	दक्षिण पूर्वी दिल्ली/ओखला	जोन–एफ Recreational/ Park	–तदैव–
3	180	1.30	दक्षिण पूर्वी दिल्ली/ओखला	-do-	–तदैव–
4	192	1.07	दिल्ली/ओखला	-do-	–तदैव–
5	31	7.22	दक्षिण पूर्वी दिल्ली/जसौला	जोन–एफ Recreational/ Park	–तदैव–
6	345	2.00	दक्षिण पूर्वी दिल्ली/ जैतपुर	जोन–एफ Recreational/ Park	–तदैव–
	कुल योग	297.77			